संख्या-9/2023/354/39-4-2023-05(02)/2021-टीसी

प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय - उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (लेखा), उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पत्र संख्या-स0अ0/अनु0-4/बी-286/2021 दिनांक 10.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में रू0-50.07 लाख (रूपये 50 लाख सात हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किये हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-04-सतर्कता निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद सं0-02-मजदूरी से रू0-1.85 लाख, 09-विद्युत व्यय से रू0-8.56 लाख, 13-टेलीफोन व्यय से रू0-5.00 लाख, 16-व्यवसायिक/ विशेष सेवाओं के लिए भुगतान से रू0-2.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय से रू0-6.00 लाख, 55-मकान किराया भत्ता से रू0-11.30 लाख एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान से रू0-15.36 लाख (कुल रू0-50.07 लाख) की बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग (बी0एम0-9 संलग्न) कर वहन की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-04-सतर्कता निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद सं0-04-यात्रा व्यय में रू0-3.15 लाख, 17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व में रू0-18.58 लाख एवं 49-चिकित्सा व्यय में रू0-28.34 लाख (कुल 50.07 लाख) के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कर लिया जायेगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने में विषय में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा प्रश्नगत सेवाओं के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(5) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी सं0-RE-budget-1-680-E-12-860-X-2022-23 दिनांक 29.03.2023 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(5) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।

(6) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।